

न्यायालय पंचम अपर सिविल जज (सी०डी०)/ए०सी०जे०एम० देहरादून।

आदेश

अभियुक्त/अभियुक्ता का मामला जुर्म इकबाल/अन्तर्गत धारा 258 द०प्र०सं०/अन्तर्गत धारा 200 द०प्र०सं० (शमन) के आधारों पर अभियुक्त/अभियुक्ता के मामलों की कार्यवाही समाप्त की जाती है। मामले में अब कोई कार्यावाही शेष नहीं है। तद्नुसार मामले का निस्तारण किया जाता है।

पंचम अपर सिविल जज (सी०डी०)
ए०सी०जे०एम०
देहरादून।